JALAUN POLICE

दिनांक – 16.04.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस व कोतवाली जालौन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जनपद के भिन्न-भिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत की गयी लूट/टप्पेबाजी की घटनाओं का सफल अनावरण कर अन्तर्जनपदीय 03 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता को लूट/टप्पेबाजी के माल के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

अवगत कराना है कि दिनांक 05.02.2025 को कस्बा जालौन क्षेत्रान्तर्गत कोंच चौराहा पर एक महिला को रोंककर उसको तंत्र मंत्र के जाल में फंसाकर गुमराह कर उसके कान के एक जोड़ी पीले धातु के बाले व उसका गले का एक मंगलसूत्र उतरवाकर टप्पेबाजी गई थी तथा दिनांक 30.03.2025 को थाना जालौन क्षेत्र मे कोंच चौराहा कस्बा जालौन से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ईको गाडी मे एक सवारी को माधौगढ़ जाने की कहकर बैठाया था और उसका बैग पीछे डिग्गी में रखवा दिया था अभियुक्तगणों ने उसके बैग से 35000 रुपये लूट लिये थे जिसके सम्बन्ध में कोतवाली जालौन पर मु0अ0सं0 32/2025 धारा 318(4), 314 व मु0अ0सं0 93/25 धारा 310 (2) पंजीकृत किया गया था। दिनांक 29.03.2025 को थाना कुठौन्द क्षेत्रान्तर्गत बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर एक ट्रक ड्राइवर से मारपीट कर 13,000/- रूपये व एक मोबाइल फोन की लूट की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कुठौन्द पर मु0अ0सं0 53/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा घटनाओं के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। जिसके क्रम में पुलिस टीमों द्वारा घटनाओं के सफल व शीघ्र अनावरण हेतु निरन्तर भरसक प्रयास किये जा रहे थे जिसके फलस्वरूप प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जालौन व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 16.04.2025 को घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना से सम्बन्धित अन्तर्जनपदीय 03 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता को सहाव मोड से सहाव गाँव की तरफ जाने वाली सड़क से घटना में प्रयुक्त 01 सफेद ईको गाडी रजि0 न0 UP 14, DP 9021 व 02 अदद कान का बाला 01 अदद मंगलसूत्र, 02 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद नाजायज चाकू व कुल 29,900/- रुपया व 01 अदद मोबाईल रंग बैंगनी तथा घटना में प्रयुक्त सामग्री के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम सभी लोग आपस में रिश्तेदार हैं इसी ईको गाडी नं0 UP 14, DP 9021 में सवार होकर रास्ता चलते जो राहगीर मिल जाए उनको सवारी के रूप में अपनी गाड़ी में बैठा कर सूनसान जगह में गाडी रोककर राहगीरों के पैसे व जेवर व अन्य कीमती सामान लूट लेते हैं। जिस दिन हम लोगों को राहगीर नहीं मिलते थे उस दिन गाडी को खड़ी करके कस्बे में व भीडभाड़ वाली जगहों पर महिलाओं पर तंत्र मंत्र की विद्या से गुमराह कर पहने हुये जेवरात व रुपये लेकर बदले में उन्हें कागज की पुडिया या कोई अन्य पोटली देकर वहाँ से अपनी इसी ईको कार में बैठकर भाग जाते हैं। देशी तमंचा व चाकू हम लोग अपनी सुरक्षा के लिये तथा लोगों को डराने के लिये रखते हैं। हम लोगों का रिश्तेदार कपिल उर्फ राहुल उर्फ अजय उर्फ मोनू पुत्र सतवीर उर्फ चन्द्रपाल उर्फ पिंगो निवासी ग्राम जोगीपुर थाना कोतवाली देहात हापुड जिला हापुड हाल पता मोहल्ला

शिवपुरम कस्बा मोहतमपुर थाना टीपी नगर जिला मेरठ भी हम लोगों के साथ घटनाएं करता है जो आज नहीं आया है । दिनांक 05.02.2025 को हम लोगों ने अपनी ईको गाडी को कोंच चौराहे कस्बा जालौन से औरैया रोड में किनारे गाडी खड़ी करके संदीप व राजू ने एक महिला को रोंककर उसको तंत्र मंत्र के जाल में फंसाकर गुमराह कर उसके कान के एक जोड़ी पीले धातु के बाले व उसका गले का एक मंगलसूत्र उतरवाकर मौके से फरार होकर अपनी इको गाडी में सवार होकर भाग गये थे जो आपको आज कृपाली और रूबी के पास से बरामद हुए हैं उस समय शेष लोग गाडी में बैठे थे। दिनांक 29.03.2025 की सुबह बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे पर मिहौना कट के हम चारो (संन्दीप, राजू, करन, कपिल) ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर 13000 रुपये व एक मोबाइल मोटोरोला कम्पनी का फोन लूट लिया उस दिन हमारे साथ महिलायें नहीं थी तथा वापस अपनी ईको गाडी में बैठकर भाग गये थे । दिनांक 30.03.2025 को कोंच चौराहे कस्बा जालौन से एक महिला को अपनी इसी ईको गाडी में माधौगढ़ जाने की कहकर बैठाया और उसका बैग पीछे डिग्गी में रखवा कर उसके बैग से 35000 रुपये निकाल लिये थे और उसे गाडी से उतारकर भाग गये थे। हम लोग इसी तरह चलते फिरते मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, मथुरा, झाँसी, जालौन, आदि जिलों में चोरी, लूट, टप्पेबाजी करते हैं। हम सब आपस में रिश्तेदार हैं तथा सभी लोग मिलकर घटनाएं करते हैं इससे जो भी धन मिलता है उसे हम लोग आपस में बांट लेत हैं तथा उसी से हम लोग अपना खर्चा चलाते हैं तथा गाडी में डीजल भराते हैं। हम लोग अपने साथ अपने घर की महिलाओं को इसलिये रखते हैं कि लोग विश्वास कर ले कि यह सवारी ढोने वाली गाडी है । आज भी हम लोग घटना करने के लिये जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के नाम व पता –

1. संजय उर्फ संदीप उर्फ टिन्कू पुत्र सुखपाल उर्फ मुकेश उर्फ गोपाल उर्फ छिद्दा निवासी ग्राम जोगीपुरा थाना कोतवाली देहात हापुड जनपद हापुड उम्र करीब 30 वर्ष
2. राजू बेलदार पुत्र स्व0 धर्मवीर उर्फ धर्मपाल जाटव निवासी ग्राम जोगीपुर थाना कोतवाली देहात हापुड जनपद हापुड हाल पता ग्राम पुठा थाना टीपी नगर नियर सीआरपीएफ कालोनी जनपद मेरठ उम्र करीब 25 वर्ष
3. करन जाटव पुत्र स्व0 लीले उर्फ रीछपाल निवासी ग्राम छौलस थाना दादरी गौतम बुद्ध नगर हाल पता ग्राम जोगीपुर थाना कोतवाली देहात हापुड जनपद हापुड उम्र करीब 25 वर्ष
4. कृपाली पत्नी स्व0 मनवीर उर्फ राजेन्द्र निवासी ग्राम जोगीपुर थाना कोतवाली देहात हापुड जनपद हापुड उम्र करीब 50 वर्ष
5. रूबी पत्नी संजय जाटव उर्फ सन्दीप निवासी ग्राम जोगीपुर थाना कोतवाली देहात हापुड जनपद हापुड उम्र करीब 25 वर्ष

वान्छित अभियुक्त का विवरण-

1. कपिल उर्फ राहुल उर्फ अजय उर्फ मोनू पुत्र सतवीर उर्फ चन्द्रपाल उर्फ पिंगो निवासी ग्राम जोगीपुर थाना कोतवाली देहात हापुड जनपद हापुड हाल पता मोहल्ला शिवपुरम कस्बा मोहतमपुर थाना टीपी नगर जनपद मेरठ

बरामदगी का विवरण –

1. 01 सफेद ईको गाडी रजि0 न0 UP 14, DP 9021 (घटना में प्रयुक्त)
2. 02 अदद कान के बाला 01 अदद मंगलसूत्र (मु0अ0सं0 32/25 धारा 318(4), 314/317 (2) बीएनएस से सम्बन्धित)
3. 02 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. 01 अदद नाजायज चाकू
5. 01 अदद मोबाईल रंग बैंगनी (मु0अ0सं0 53/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना कुठौन्द)
6. नगद 29,900/- रूपये (मुकदमे से सम्बन्धित)

7. घटना में प्रयुक्त सामग्री .... सूटकेस की चाभी का गुच्छा जिसमें 15 चाभी, व लोहे का प्लस के निशान में चारो तरफ चाभी नुमा चारो तरफ छेददार, 01 छोटा पेंचकस, 07 फेवीक्विक, 03 ताभीज काले धागे में, एक इत्र की सीसी, उर्दू भाषा में लिखी व आकृति बनी हुई 09 छोटी बड़ी कागज की पर्ची

आपराधिक इतिहास अभियुक्त संजय उर्फ संदीप उर्फ टिन्कू –

01. मु0अ0स0 93/2025 धारा 310(2)/317(2) बीएनएस थाना जालौन जनपद जालौन।
02. मु0अ0सं0 32/2025 धारा 318(4), 314/317 (2) बीएनएस थाना जालौन जनपद जालौन।
03. मु0अ0सं0 53/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना कुठौन्द जनपद जालौन।
04. मु0अ0सं0 108/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जालौन जनपद जालौन।
05. मु0अ0सं0 05/20 धारा 392/411 /34 भादवि थाना सिम्बावली जनपद हापुड।
06. मु0अ0सं0 38/2022 धारा 379/411/413 थाना हाफिजपुर जनपद हापुड।
07. मु0अ0सं0 172/2022 धारा 307 भादवि थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।
08. मु0अ0सं0 173/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हाफिजपुर जनपद हापुड।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजू बेलदार –

01. मु0अ0स0 93/2025 धारा 310(2)/317(2) बीएनएस थाना जालौन जनपद जालौन।
02. मु0अ0सं0 32/2025 धारा 318(4), 314/317 (2) बीएनएस थाना जालौन जनपद जालौन।
03. मु0अ0सं0 53/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना कुठौन्द जनपद जालौन।
04. मु0अ0सं0 109/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जालौन जनपद जालौन।
05. मु0अ0सं0 05/20 धारा 392/411 /34 भादवि थाना सिम्बावली जनपद हापुड

आपराधिक इतिहास अभियुक्त करन जाटव –

01. मु0अ0स0 93/2025 धारा 310(2)/317(2) बीएनएस थाना जालौन जनपद जालौन।
02. मु0अ0सं0 53/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना कुठौन्द जनपद जालौन।
03. मु0अ0सं0 110/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जालौन जनपद जालौन।
04. मु0अ0सं0 156/2023 धारा 319/411 भादवि थाना किठौर जनपद मेरठ।
05. मु0अ0सं0 13/2023 धारा 414 भादवि थाना सदर बाजार जनपद मेरठ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्ता कृपाली –

01.मु0अ0स0 93/2025 धारा 310(2)/317(2) बीएनएस थाना जालौन जनपद जालौन।
02.मु0अ0सं0 32/2025 धारा 318(4), 314/317 (2) बीएनएस थाना जालौन जनपद जालौन।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रूबी –

01.मु0अ0स0 93/2025 धारा 310(2)/317(2) बीएनएस थाना जालौन जनपद जालौन।
02.मु0अ0सं0 32/2025 धारा 318(4), 314/317 (2) बीएनएस थाना जालौन जनपद जालौन।

नोट- उक्त अभियुक्तगणों द्वारा जनपद मेरठ के थाना किथोर सदर बाजार, जनपद हापुड में थाना सिम्भावली, थाना हाफिजपुर, थाना बहादुरगढ़ व जनपद गाजियाबाद, मथुरा व झाँसी में घटनाएं कारित की गई है जिनके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जालौन मय पुलिस टीम
2. प्रभारी एसओजी मय पुलिस टीम
3. प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम